

## राजस्थान सरकार

**निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर**  
 क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(F)/आक्षेप/सी-48/2019/1124 दिनांक-21/9/19

सम्बन्धित प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज,  
 सम्बन्धित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय  
 सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
 सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
 राजस्थान।

**विषय:-** एसीपी के आक्षेपों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा निम्नांकित नर्स-2/महिला स्वास्थ्य दर्शिका के एसीपी स्वीकृत करने हेतु प्रकरण प्राप्त हुये हैं, उनके नाम के सम्मुख अंकित कमियाँ पायी गई है निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.19 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैकलिस्ट के साथ भिजवाने का श्रम करें ताकि कार्मिका को समय पर एसीपी आदेश जारी किये जा सके-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	आक्षेप
1	शान्ता भीणा, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	कार्मिका को एएनएम को प्रोटेक्शन का लाभ दिया अथवा सीधी भर्ती में नर्स-2 का पद का लाभ दिया है स्थिति स्पष्ट नहीं? कार्मिका को एसीपी के प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.19 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैकलिस्ट के साथ भिजवाये।
2	नाजनीन शेख, नर्स-2	प्रिन्सीपल, मेडिकल ऑफिसर, महात्मा गाँधी अस्पताल, भीलवाडा	कार्मिका की नियुक्ति तिथि 30.06.2008 तथा 9 वर्ष का एसीपी तिथि 30.06.2017 देय है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव ग्रेड पे से प्रस्तुत किया है जबकि दिनांक 01.01.2016 के पश्चात 7 सातवे वेतनमान में वेतन नियतन पश्चात लेकिन स्वीकृत किया जावेगा। अतः निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.19 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैकलिस्ट के साथ भिजवाये।
3	फरीदा बानो, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़	कार्मिका की प्रथम नियुक्ति तिथि नर्स-2 पद पर तिथि 01.12.96 वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि नर्स-2 के पद पर तिथि 17.08.09 व 9 वर्ष से सम्पूर्ण का प्रस्ताव तिथि 18.08.2018 का भेजा है जबकि अथवा द्वारा प्रस्तुत पत्र के क्रम संख्या 2863 पर अंकितानुसार जन्म तिथि 15.06.75 कार्यग्रहण तिथि 11.08.09 अंकित है।

			क्या कार्मिका के तिथि 01.12.96 के पश्चात वर्ष 2005 में 9 वर्ष चयनित वेतन दिया अथवा नहीं की स्थिति स्पष्ट करें तथा नर्स-2 के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति दी गई है अथवा विभागीय 10 प्रति0 कोटे से नियुक्ति दी गई है की स्थिति स्पष्ट करें। अतः निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.19 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैकलिस्ट के साथ भिजवाये।
4	अनिता पापचन, शकुन्तला कोली, शालिनी रावल, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा,	निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.19 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैकलिस्ट के साथ भिजवाये। कार्मिका के 9 वर्ष एसीपी प्रपत्र में प्रस्तावित नहीं किया है विभागीय जांच का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है
5	कृष्णा स्वर्णकार, ऐजन दैष्णव, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.19 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैकलिस्ट के साथ भिजवाये। विभागीय जांच का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, एसीपी प्रस्ताव सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त भिजवाये, 9 वर्षीय एसीपी 18.07.18 से देय है जबकि प्रस्ताव में 17.07.18 के प्राप्त हुए है।
6	हृन्दरा चौधरी, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर ।	निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.19 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैकलिस्ट के साथ भिजवाये।
7	लीला तेली, नर्स-2	अधीक्षक, सेठ राम विलास भुवालका यक्ष्मा आरोग्य सदन बडी , उदयपुर ।	निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.19 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैकलिस्ट के साथ भिजवाये।
8	भतेरी, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू	निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.19 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैकलिस्ट के साथ भिजवाये। एसीआर प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, 9 वर्ष एसीपी 11.08.18 को देय है जबकि प्रस्ताव में 10.08.18 का प्राप्त हुआ है ।

\* उपरान्तानुसार मूल प्रस्ताव संलग्न

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर

कमांक नर्सिंग / नर्स-2(F) / आक्षेप / सी-48 / 2019 /  
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-  
1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।  
2- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

दिनांक:-

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर